भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और परिदृश्य

I समष्टिगत आर्थिक नीति परिवेश

प्रस्तावना

1.1 2001-02 में विभिन्न उद्योगों में आई मंदी की पृष्ठभूमि में निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए पहल करने, उनका पोषण करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहराती समकालीन मंदी से निपटने के लिए समष्टिगत आर्थिक प्रबंध की नीतियां बनाई गयीं । कृषि उत्पादन में तीव्र उछाल, पर्याप्त खाद्य भंडार, मुद्रास्फीति में रिकार्ड गिरावट और भुगतान संतुलन की स्थिति में जबरदस्त सुधार के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में प्रदर्शित भारी वृद्धि ने समष्टिगत आर्थिक नीति पर बल देने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान किया ।

1.2 वास्तविक क्षेत्र की नीतियां विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके और निजी उद्यमों की सहभागिता को व्यापक बनाकर घरेलू निवेश मांग में वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्देशित हुईं । पांच वर्ष की अवधि में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य के तहत, व्यापार नीतियों, उत्पाद विशेष और बाजार विशेष, दोनों ही रूपों में, आक्रामक मध्यावधि निर्यात रणनीतियां लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया । मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यू आर) को हटाने और प्रशुल्क को घटाने / युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया । विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आइ) पर विदेशी निवेश नीति ने वर्तमान उच्च सीमा तक उदारीकरण को और आगे बढ़ाया । उदारीकरण ने भारतीय कंपनी जगत में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को भी प्रभावित किया, जिससे विदेशी प्रत्यक्ष और संविभागीय निवेशों के बीच परस्पर उन्मोच्यता में वृद्धि हुई । भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिकन डिपाजिटरी रसीद (ए डी आर) / ग्लोबल डिपाजिटरी रसीद (जी डी आर) / विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ सी सी बी) और विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से विदेशी ईक्विटी के निर्गम के लिए मानदंडों का प्रक्रियागत सरलीकरण सहित उसे उल्लेखनीय रूप से आसान बनाया गया ।राजकोषीय नीतियों में इसकी संभाव्यता के अनुरूप वृद्धि की राह की ओर वापसी और अर्थव्यवस्था को पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए छह सूत्री नीति के साथ औचित्य और समेकन की वचनबद्धता को पुनः दुहराया गया । मूल्य स्थिरता की निगरानी करते हुए संगत ब्याज दरों में नरमी बनाये रखने के उद्देश्य को सामने रखते हुए मौद्रिक नीति में ऋण वृद्धि की मांग हेतु चलनिधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करते हुए स्थिति को बरकरार रखा गया । एक दक्ष और सजग वित्तीय प्रणाली के संस्थागत बुनियादी संरचना के निर्माण के एक अंतरंग भाग के रूप में, ऋण वितरण चैनलों को बेहतर बनाया गया, उन्हें बढ़ाया गया और मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक प्रभावीपन में सुधार लाया गया । वित्तीय मध्यस्थों की परिचालन क्षमता में वृद्धि करने, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के प्रति इन संस्थानों की कार्यपद्धतियों को विवेकसम्मत मानकों के आधार पर सुदृढ़ बनाने, विनियामक और पर्यवेक्षणीय कार्यों में सुधार लाकर उनमें पारदर्शिता, जवाबदेही और बाजार अनुशासन बढ़ाने, नीतिगत परिवेश के अपविनियमन पर निरंतर जोर देकर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को तेज किया गया ।

वास्तविक क्षेत्र की नीतियां : कृषि और कृषि उद्योग

1.3 भंडारण और वितरण की समस्या पैदा कर रहे खाद्यान्न भंडारों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए । गेहूं और गेहूं के उत्पाद, मोटे अनाज और दालों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यू आर) को मार्च 2002 में समाप्त कर दिया गया । भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से खाद्यान्नों के निर्यात के लिए 'पहले आओ पहले जाओ' (एफ आइ एफ ओ) की शर्त 'नए भंडार के बेचने से पूर्व पुराने का वितरण आवश्यक' - को जून 2001 में हटा दिया गया । जुलाई 2001 में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य (सी आइ पी) लगभग 26 प्रतिशत तक घटा दिया गया ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) के तहत इनकी ज्यादा मात्रा उठ सके । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी पी एल) उपभोक्ताओं के लिए प्रति परिवार खाद्याान्नों की मात्रा बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गयी । सितंबर 2001 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक सांविधिक संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । खुले बाजार में अनुदानीकृत गेहूं बेचने के लिए देश को पांच भागों में बांटने की नीति को समाप्त कर दिया गया । प्रत्येक राज्य को एक अलग क्षेत्र माना जाएगा और भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं को राज्य तक ले जाने में हुए वास्तविक मालभाड़ा व्यय को वसूल किया जाएगा ।

* यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, परन्तु इसमें बहुत से परिवर्तियों के आंकड़े वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल-मार्च के आधार पर तैयार किए जाते हैं । जहां आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां उन्हें मार्च 2002 के आगे भी अद्यतन किया गया है । विश्लेषण के प्रयोजन से और नीतियों से संबंधित समुचित दिशा प्रदान करने हेतु विगत एवं भावी वर्षों के संदर्भों का उल्लेख इस रिपोर्ट में यथावश्यक किया गया है ।

1.4 फसल के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को कम करने हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता (लगभग 54 लाख टन) का निर्माण करने, विशाल मात्रा के निपटान, भंडारण तथा परिवहन सुविधाओं की अतिरिक्त क्षमता बनाने और निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारंपरिक गोदामों का निर्माण करने सहित 2001-02 में लिये गये 'अन्न बचाओ अभियान योजना' के तहत कई नए कदम शुरू किए गए। देश में विभिन्न स्थानों पर अनाज बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.5 चीनी को वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के तहत रखकर चीनी का वायदा व्यापार करने की अनुमति अप्रैल 2001 में दी गई। चीनी व्यापार और वायदा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2001 में नीतिगत उपायों के पैकेज की घोषणा की गई। तीन एक्सचेंजों (शेयर बाजार) को चीनी में वायदा व्यापार करने की 'सिद्धांततः' मंजूरी दी गई। जुलाई 2001 में 30 वस्तुओं के वायदा और हाजिर व्यापार करने के लिए एक बहु-पण्य एक्सचेंज की स्थापना के लिए सहायता संघ (कंर्सोर्टियम) को 'सिद्धांततः' मंजूरी दी गई।

1.6 2002-03 के लिए राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य कृषि सुधारों में तेजी लाना, विनियामक और प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करना और कृषि हेतु बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आर आइ डी एफ) की सहायता को कृषि क्षेत्र के सुधारों से संयोजित किया गया और आर आइ डी एफ VIII के लिए निधियों को और बढ़ाया गया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (आइ बी पी) के निर्धारण को भी बढ़ाया गया।

विनिर्माण, बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं

1.7 100 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति विनिर्माण क्षेत्र के विस्तृत दायरे और वाणिज्य विशेष आर्थिक अंचलों और दूरसंचार, हवाई अड्डों (ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए 2002-03 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित छूटों सहित), कुरियर सेवाओं, दवाई और औषधि, होटल और पर्यटन क्षेत्र में दी गई है। रक्षा क्षेत्र भी निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय बजट में, 2002-03 के लिए पर्यटन विकास पैकेज की व्यवस्था की गई जिसमें 2002-03 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप छह पर्यटन क्षेत्रों का विकास और इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से संसाधन एकत्र करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (एस पी वी) के लिए अनुमति शामिल थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लागू करने के साथ मूलभूत सुविधाओं के दबाव को सुलझाने, लंबी दूरी की घरेलू टेलीफोन सेवाओं को शुरू करने के माध्यम से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (1999) की परिधि को बढ़ाने और संसद में भारतीय अभिसरण आयोग, बिल (2001) को लाने जैसे कदम भी उठाए गए। मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए ईक्विटी निवेश उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रु. की एक मूलभूत सुविधा ईक्विटी निधि स्थापित की गई।

1.8 मार्च 2002 में घोषित आटोमोबाइल उद्योग के लिए नई नीति इस क्षेत्र में बिना किसी न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के 100 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी निवेश की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योग को न्यूनतम जोखिम के साथ इनका खुले व्यापार में संतुलित रूपान्तरण सहित, भारतीय आटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना है। 2002-03 के केंद्रीय बजट में, कुछ आटोमोबाइल पुर्जों के निर्माण को आरक्षण से मुक्त कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन की अनिवार्यता के कारण सरकार आटो कंपनियों की बकाया निर्यात बाध्यताओं को हटाने पर भी विचार कर रही है।

1.9 मूलभूत सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश को तेज करने के लिए सड़कें तथा राजमार्गों और रेलवे पर योजना परिव्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई। निवेश पर पर्याप्त प्रतिलाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक समुचित उपभोक्ता प्रभार के मामले सुलझाने के लिए भी उपाय किए गए। विद्युत शक्ति (पावर) क्षेत्र में, सुधारों का लक्ष्य उत्पादन से संचारण और वितरण की ओर अंतरित हो गया। त्वरित विद्युत शक्ति विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी) की योजना आबंटन त्वरित विद्युतशक्ति विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के रूप में पुनर्संरचना की जा रही है। उक्त कार्यक्रम के तहत इस निधि तक राज्यों की पहुंच सहमत सुधार कार्यक्रमों के आधार पर होगी।

बाह्य क्षेत्र की नीतियां

व्यापार नीतियां

1.10 2002-07 की घोषणा जनवरी 2002 में निर्यात क्षेत्र के लिए भावी मार्ग दिखाने के लिए की गई जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के साथ-साथ पूरी होगी। मध्यावधिक निर्यात नीति का उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को वर्तमान के 0.67 प्रतिशत से बढ़ाकर 2006-07 तक 1.0 प्रतिशत तक लाना है। इसमें निर्यात की दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वर्तमान स्तर से लगभग दुगुना करने का उद्देश्य निहित है। मध्यावधिक निर्यात नीति की मुख्य विशेषताओं में निर्यात के लिए उत्पाद (220 पण्य) और बाजारों को निर्दिष्ट करना तथा निर्दिष्ट किये गए संभाव्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार निर्देशात्मक नीतियां शामिल हैं। समस्त नीतियों के लिए पण्य और बाजार स्तर के कार्य निर्धारण और मध्यावधिक निर्यात नीति के क्रियान्वयन की निगरानी को संस्थागत प्रणाली का भी ध्यान रखने की परिकल्पना की गयी है। निर्यात बाजार विशाखन भी उप-सहारा अफ्रीका तथा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एक्ज़िम नीति का एक व्यापक उद्देश्य भी है।

निर्यात-आयात नीति (2002-2007)

1.11 31 मार्च, 2002 को घोषित 2002-2007 की अवधि के लिए घोषित निर्यात-आयात (एक्ज़िम) नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना (स्टेट ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस के लिए संदर्भित कुछ संवेदी वस्तुओं को छोड़कर), कृषि उत्पादों के निर्यात, कुटीर उद्योग क्षेत्र और हस्तशिल्प पर विशेष

ध्यान केंद्रित करना और निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं (ए एस आइ डी ई) के लिए राज्य सहायता शामिल है ।

1.12 14 राज्यों में स्वीकृत 28 कृषि निर्यात अंचलों (एईझेड) में कृषि उत्पादों तथा कृषि आधारित संसाधित उत्पादों के निर्यात का विकास करना । लघु उद्योग जिसका भारतीय निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है, को निर्यात मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से "कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प पर विशेष ध्यान" कार्यक्रम चलाना, जिसके तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत कुटीर उद्योग निर्यात का विकास हस्तशिल्प क्षेत्र की इकाइयों के लिए बाजार में प्रवेश के लिए पहलों (एम ए आइ) से निधि तक पहुंच, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) योजना के तहत निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखने से छूट, निर्यात के पोतपर्यंत निःशुल्क (एफ ओ बी) मान के 3 प्रतिशत तक निर्दिष्ट मदों का शुल्क मुक्त आयात और कम औसत निर्यात-निष्पादन (5 करोड़ रु.) पर निर्यात प्रतिष्ठान की हैसियत के लाभ जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं । तिरूपुर (होज़री), पानीपत (ऊनी कंबल) और लुधियाना (बुने हुए ऊनी वस्त्र) जैसे निर्यात संभावना वाले उद्योग समूह शहरों को भी ऐसे प्रोत्साहन दिए जायेंगे ।

1.13 भारत हीरे के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर सके इसके लिए, अपरिष्कृत हीरों के आयात पर से सीमा शुल्क को घटाकर शून्य प्रतिशत करना और अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंस-राज की समाप्ति सहित कई उपाय किए गए । जेवरात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साधारण जेवरात के निर्यात के लिए मूल्य योजित मानदंड 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना और केवल 3 प्रतिशत के मूल्य योजना पर मशीनी बिना जड़ाऊ जेवरात के निर्यात की अनुमति देने सहित महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए ।

1.14 आयकर रियायत, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) की आपूर्ति पर केंद्रीय बिक्रीकर से छूट, डी टी ए आपूर्तिकर्ताओं के लिए शुल्क वापसी हकदारी (वापसी / ड्यूटी एनटाइटलमेंट) पासबुक (डी ई पी बी), बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर प्रतिबंधों से छूट, विदेशों में निवेश की स्वतंत्रता और पण्य की सुरक्षा कवर हेतु वायदा खरीद / बिक्री करने जैसी सुविधाएं एक्ज़िम नीति के तहत विशेष आर्थिक अंचलों (एस ई ज़ेड) को उपलब्ध कराई गईं । सी आर आर और एस एल आर शर्तों से छूट प्राप्त विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को, अन्य बातों के साथ-साथ, पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय दरों पर बाह्य वित्त की उपलब्धता हासिल करने के लिए एस ई जेड (विशेष निर्यात क्षेत्र) बनाने की अनुमति दी जाएगी। बजट-पश्चात घोषणा में, 1 अप्रैल 2002 को या इसके पश्चात उत्पादन आरंभ करने वाली समस्त एस ई जेड इकाइयों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्यात लाभों पर 100 प्रतिशत तक कर-कटौती और उसके पश्चात अगले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत कटौती की अनुमति प्रदान की गई । विशेष आर्थिक अंचलों से देशी प्रशुल्क क्षेत्र के लिए आपूर्ति को, आयकर अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत टैरिफ और केंद्रीय बिक्रीकर के उद्देश्य से मानित निर्यात के बजाए वास्तविक निर्यात माना जाएगा ।

1.15 हार्डवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी) योजना को संशोधित किया गया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी करार (आइ टी ए आइ) के तहत यह क्षेत्र शून्य कर-प्रणाली हासिल कर सके । इन इकाइयों की निर्यात के प्रतिशत के रूप में निवल विदेशी मुद्रा आय (एन एफ ई पी) प्रत्येक वर्ष की बजाए पांच वर्षों में सकारात्मक होनी चाहिए । ई एच टी पी के लिए अन्य कोई निर्यात बाध्यता नहीं होगी और शून्य कर वाली आइ टी ए - आइ मदों की घरेलू बाजार में आपूर्ति निर्यात बाध्यताओं की गणना हेतु पात्र होगी ।

1.16 शुल्क-मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र (डी एफ आर सी), ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास-बुक (डी ई पी बी), निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) और अग्रिम लाइसेंस योजना को युक्तिसंगत बनाकर उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया । समुचित प्रतिष्ठा धारकों (स्टेटस होल्डर्स) को निर्यात दस्तावेजों पर सीधे परक्रामण, विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खातों में 100 प्रतिशत प्रतिधारण और निर्यात आय की वसूली के लिए प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 360 दिन करने जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गईं । लेन-देन के खर्च को और कम करने के उद्देश्य से, सीमा शुल्क और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) की प्रक्रियाओं में कई प्रक्रियागत सुधार शुरू किए गए ।

1.17 पूर्वोत्तर, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित इकाइयों को बंदरगाहों से दूरी के कारण होने वाली हानियों की भरपाई हेतु परिवहन अनुदान दिया जाता है । भारत में उद्योगों के पुनःस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्लांट और मशीनरी की बिना लाइसेंस आयात की तब अनुमति थी जब ऐसे पुनःस्थापित प्लांट का ह्रासित मूल्य 50 करोड़ रुपये से ज्यादा हो ।

सीमा शुल्क से संबंधित बजट प्रस्ताव

1.18 2002-03 के केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क से संबंधित मुख्य परिवर्तनों में सीमा शुल्क की उच्च दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना, चाय तथा काफी (70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत), मसालों जैसे कि, काली मिर्च, लौंग, इलायची (35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत), प्राकृतिक रबड़ और पोस्त बीज (35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत), दालों (5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत) के सीमा करों में वृद्धि और जिन खाद्येतर तेलों में 20 प्रतिशत या ज्यादा वसामुक्त अम्ल (फ्री फैटी एसिड) है, उस पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाना शामिल है।

1.19 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की शर्तों के अनुरूप दुग्ध उत्पादों पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया । विश्व बैंक की शर्तों के अनुरूप, आयातित शराब पर सीमा शुल्क 210 प्रतिशत से घटाकर 182 प्रतिशत की बाउन्ड दर पर लाया गया और शराब तथा द्राक्षासव (वाइन) पर लागू प्रतिकार कर (सीवीडी) दर को युक्तिसंगत बनाया गया ।

1.20 सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) के मामलों में, सीमा शुल्क में छूट दी गई । चरखी (रीलिंग), लपेटने (टिव्सटिंग), बुनने (वीविंग) और रेशम वस्त्रोद्योग की प्रसंस्करण मशीनों जैसी कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया गया। इन मदों को केंद्रीय मूल्य योजित-कर (सी ई एन वी ए टी) से छूट स्वचालित शटल लूम और निर्दिष्ट जूट मशीनरी की 28 मदों के प्रसंस्करण मशीनरी के साथ 28 फरवरी 2005 तक उपलब्ध रहेंगी ।

दोहा के बाद की गतिविधियाँ

1.21 नवबंर 2001 की दोहा घोषणा में एक मुख्य घोषणा ट्रिप्स (टी आर आइ पी एस) समझौता और जन स्वास्थ्य और निर्णयों को लागू करने से संबंधित विषयों पर मुख्य घोषणा और विश्व व्यापार संगठन की भविष्य की कार्य योजनाओं के संबंधित निर्णय शामिल हैं। परक्रामण आदेशपत्र गैर प्रशुल्क अवरोधों सहित प्रशुल्क की ऊंची दर को कम करने या समाप्त करने और बढ़ाने पर केंद्रित है । जहाँ तक गैट्स का सम्बंध है, सदस्यों को 30 जून 2002 तक बाजार में पैठ होने देने के लिए अनुरोध करना होगा। भारत का ध्यान विश्व व्यापार संगठन की भावी बातचीतों में विकासशील देशों के लिए बाजार में ज्यादा पैठ प्राप्त करने पर केंद्रित रहा है। भारत ने यह अनुरोध किया है कि कार्य योजनाओं में कार्यान्वयन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सफाई प्रबंध और पादप स्वास्थ्य प्रबंध (एस पी एस) मानक और व्यापार के तकनीकी अवरोध (टीबीटी) के मामले में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि भारत कृषि में पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सके। भारत ने यह भी तर्क दिया कि ट्रिप्स की कार्यसूची विकासशील देशों की चिन्ताओं को प्रतिबिम्बित करे । दोहा घोषणा के संदर्भ में भारत ने विश्व के जैवविविधता के धनी राष्ट्रों की पारंपरिक जानकारी की रक्षा हेतु "विकास सहयोग" की मांग की है ।

बाह्य पूंजी प्रवाह हेतु नीतियां

1.22 पूंजीगत प्रवाह की सीमा-पार गतिविधियों विशेषतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आवक प्रत्यक्ष और संविभागीय निवेश, अनिवासी जमा राशियां और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों को और उदार बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की गईं हैं ।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

1.23 स्वचालित मार्ग के तहत आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विनियामक नीतिगत ढांचे को क्रमिक रूप से उदार बनाया गया । स्वचालित मार्ग के तहत दवाइयों और औषधि के निर्माण, होटल और पर्यटन क्षेत्र में और सभी महानगरों के लिए विशाल परिवहन व्यवस्था (स्थावर संपदाओं के सहायक वाणिज्यिक विकास सहित) में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है । इसी तरह स्वचालित मार्ग के तहत, हवाई अड्डों में, एकीकृत रिहायशी, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, सैरगाहों (रिसोर्ट) शहर और क्षेत्रीय स्तरीय बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क और पुल, इमारत सामग्री के निर्माण और कूरियर सेवाओं (पत्र वितरण संबंधी कार्यों को छोड़कर) 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है । स्वचालित मार्ग के तहत बैंकिंग क्षेत्र में समस्त स्रोतों से 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है ।

संविभागीय निवेश

1.24 सितंबर 2001 में भारतीय कंपनियों पर यथा लागू क्षेत्रीय सीमा (कैप) / सांविधिक उच्च सीमा के अन्तर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश 24 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति थी। 2002-03 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, एफ आइ आइ विन्यास निवेश निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन नहीं हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा 4 फरवरी 2002 को दी गई अनुमति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों को एक्सचेंज ट्रेडिड व्युत्पन्नी लिखत कांट्रेक्टस का व्यापार करने की अनुमति दी गई ।

अनिवासी जमा राशियां

1.25 पूंजीगत खाते की उदारीकरण की नीति को जारी रखते हुए अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एन आर एन आर) खाता और अनिवासी विशेष रुपया (एन आर एस आर) खाता योजनाओं को 1 अप्रैल 2002 से समाप्त कर दिया गया। वर्तमान खाते योजनाओं के अधीन परिपक्वता की तारीख तक जारी रहेंगे जिसके पश्चात इनकी राशियां अनिवासी बाह्य खाते / अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा की जायेगी (अधिक जानकारी के लिए देखें अनुभाग IX) ।

1.26 चालू बाह्य लेनदेनों के चल रहे उदारीकरण में, ऐसे अनिवासी भारतीयों को जिनका भारत में अनिवासी (सामान्य) खाता नहीं है, एक उचित प्रमाणन पर उनके किराया, लाभांश, पेन्शन, ब्याज आदि जैसे चालू आय के प्रत्यावर्तन, शामिल हैं। भारतीय कंपनियों को, जिन्होंने अच्छा-पिछला रिकार्ड बनाये रखा है, अपनी विदेशी मुद्रा आय से विदेश में शैक्षणिक संस्थाओं में पीठ की स्थापना और इसी तरह के प्रयोजनों के लिए निधियों में अंशदान करने के लिए अनुमाति दी गई थी ।

भारतीय प्रत्यक्ष और विदेशी निवेश संविभाग

1.27 स्वचालित मार्ग के अंतर्गत भारत के बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश की वर्तमान सीमाएं 100 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाई गई थीं। रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2002 में मार्गदर्शी नियम जारी किये जाने के बाद अमरीकी डिपाजिटरी रसीद (एडीआर)/ग्लोबल डिपाजिटरी रसीद (जीडीआर) पर दोहरी प्रतिमोच्यता लागू की गयी । इस योजना के अंतर्गत शेयरों का एडीआर / जीडीआर में पुन: परिवर्तन विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये जानेवाले संविभागीय निवेश से अलग हैं । ये लेनदेन मांग से प्रभावित होंगे और अभिरक्षक भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत एडीआर/ जीडीआर के पुनर्निगम पर निगरानी रखेगा। 50 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाडों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत लाया गया है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार और ईईएफसी खाता

1.28 रिज़र्व बैंक ने कंपनियों को न्यूनतर ब्याज दरों का लाभ-उठाने और उन्हें अपने बाह्य वाणिज्यिक उधारों की समय से पहले अदायगी करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से मामला-दर- मामला आधार पर अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों (ईईएफसी) में अब तक अनुमत 50/70 प्रतिशत की अपेक्षा की तुलना में निर्यात से प्राप्त आय का अधिक अंश भी जमा करने के लिए अनुमति दी हैं।

राजकोषीय नीति

1.29 केन्द्रीय बजट 2002-03 में छह सूत्री नीति अपनायी गयी है जिसमें कृषि और खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के सुधारों को जारी रखने, मूलभूत सुविधा में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार को मजबूत करने, विन्यासगत सुधार सघन करने और औद्योगिक वृद्धि फिर से लाने पर बल दिया गया है। राजकोषीय सुधार की नीति योजनेतर व्यय पर नियंत्रण, करसुधार, अधिक विनिवेश आय और सकल व्यय की अपेक्षा उच्चतर वृद्धि बनाये रखने पर आधारित है।

व्यय प्रबंधन

1.30 वर्ष 2001-02 के दौरान योजनेतर व्यय सीमित रखने में प्राप्त सफलता से व्यय प्रबंधन की संभावना बढ़ गयी है। केंद्रीय बजट 2002-03 में व्यय प्रबंधन की प्रक्रिया फिर से लागू करने के लिए कई उपायों की परिकल्पना की गयी है। व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में पता लगायी गयी अतिरिक्त श्रमशक्ति चरणबद्ध रीति से रद्द की जायेगी। आगामी 4 वर्षों में नयी भर्ती कुल सिविल स्टाफ संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी। आर्थिक सहायिकी पर व्यय को सीमित रखने के लिए केन्द्रीय बजट में यूरिया और अन्य उर्वरकों के निर्गम मूल्य में वृद्धि की गयी है। पूंजीगत वितरण और पूंजी परिव्यय बढ़ाया गया है ताकि सार्वजनिक निवेश में कटौती के कारण बढ़नेवाले राजकोषीय समायोजन की प्रवृत्ति को विचारित दिशा में मोड़ा जा सके।

कर-उपाय

1.31 केन्द्रीय बजट का लक्ष्य है आधुनिक कर-प्रणाली उपलब्ध कराना ताकि मांग की बहाली, निवेश का संवर्धन, आर्थिक वृद्धि की गति में तेजी और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। प्रत्यक्ष-कर के संबंध में किये गये उपायों का लक्ष्य है-कर-आधार को व्यापक बनाने की दिशा में और अधिक प्रगति करना, कर-संरचना का औचित्यीकरण और सरलीकरण और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देना। गुजरात भूकंप राहत के लिए लगाया गया 2 प्रतिशत का अधिभार रद्द किया गया है और पांच प्रतिशत का अधिभार 60,000 रुपयों तक की आय को छोड़कर कर दाताओं की सभी श्रेणियों पर लगाया गया है। 1,00,000 रुपये (परिलब्धियों को छोड़कर) तक के करयोग्य वेतन पानेवाले कर्मचारियों के मामले में वर्ष 2002-03 के लिए परिलब्धियों पर कर से छूट दी गयी है और बाद के वर्षों में नियोक्ता चाहें तो कर्मचारियों की ओर से परिलब्धियों पर कर अदा कर सकते हैं। देशी कंपनियों और म्युचअल फंड द्वारा दिये गये लाभांश पर कर रद्द किया गया है तथापि इसके अंतिम प्राप्तकर्ता को उसके लिए लागू दर के अनुसार कर अदा करना होगा। विदेशी कंपनियों के लिए निगम कर 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया है जिससे विदेशी कंपनियों और देशी कंपनियों के बीच निगम-कर के संबंध में लागू दरों के बीच होनेवाले अंतर का समाधान किया गया है।

1.32 ऐसे नये संयंत्र और मशीन जो नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने या पहले से स्थापित इकाइयों की क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत का विस्तार करने के लिए 1 अप्रैल 2002 को या उससे पहले अधिगृहित की गई हैं, पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए अनुमति दी गई है जिससे औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिऐ किये गये प्रावधान के आधार पर अपनी कुल आय के 7.5 प्रतिशत (5 प्रतिशत से अधिक) तक कटौती करने के लिए अनुमति है। इसके अलावा हानि या संदिग्ध आस्तियों की श्रेणी में आनेवाली निष्क्रिय आस्तियों के कारण वैकाल्पिक कटौती की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गयी है और इसी प्रकार की कटौती का विकल्प सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए भी अनुमत है।

1.33 भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी बाण्डों में निवेश को 54 ईसी के अंतर्गत पूँजी अभिलाभ-कर से छूट दी गयी हैं। 31 जुलाई 2002 को घोषित कर-छूट में, अन्य बातों के अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अधीन निर्दिष्ट निवेशों से प्राप्त आय से कटौती को 9,000 रुपयों से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है, प्रत्येक कंपनी से प्राप्त 2,500 रुपये तक लाभांश पर कर-कटौती अथवा किसी मुच्युअल फंड और जीवन बीमा प्रीमियम पर सेवा-कर से छूट शामिल है।

1.34 अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, जिन मदों पर विशेष शुल्क लगाया जाता है, उसे घटाकर 16 प्रतिशत करके उसका और अधिक सरलीकरण किया गया है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जानेवाली विशेष सेवाओं को शामिल करके कर आधार का विस्तार किया गया है। सीमा शुल्क की सर्वोच्च दर घटाकर 30 प्रतिशत की गयी है तथा बंदरगाह और हवाई पत्तन तथा नागरी उड्डयन क्षेत्र, इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों के लिए विशिष्ट उपकरण पर रियायत-दने के साथ दर संरचना के सरलीकरण की प्रक्रिया आगे जारी रखी गयी।

संरचनात्मक सुधार

1.35 केन्द्रीय बजट 2002-03 में संरचनात्मक सुधार के समेकन को गति दी गयी है। इसमें परिकल्पित महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन

बाक्स I.1
पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्यप्रणाली

पेट्रोलियम और डीजल के लिए 1 अप्रैल 2002 से नियंत्रित मूल्य प्रणाली समाप्त की गयी है। 'एविएशन टर्बाइन फ्यूएल (एटीएफ) का मूल्य निर्धारण 1 अप्रैल 2002 से अविनियमित किया गया है । नियंत्रित मूल्यप्रणाली संश्लिष्ट प्रति सहायताप्राप्त प्रणाली है जिसके अंतर्गत मिट्टी के तेल और डीजल जैसे पेट्रोलियम के कुछ उत्पादों पर अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता दी गयी है, जबकि पेट्रोल जैसे कुछ उत्पादों के मूल्य आयात समता कीमत से उच्चतर स्तर पर निर्धारित किये गये हैं । जहां ऐसी अपेक्षा थी कि समय के साथ-साथ स्वसंतुलन हो जायेगा, वहीं अल्पावधि में पेट्रोलियम उत्पादों के देशी मूल्य अंतर्राष्ट्रीय अपरिष्कृत तेल के अस्थिर मूल्यों से अंशतः अवरुद्ध रहे ।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में घट-बढ़ के देशी मुद्रास्फीति पर पड़नेवाले पास-थ्रू प्रभाव को मंद करने में संतोषजनक कार्य किया । दूसरी ओर संसाधन निर्माण और प्रौद्योगिकीगत उन्नयन के अभाव में मंदी व्यापक बनी और औद्योगिक तथा उपभोक्ता क्षेत्र पर उसका प्रतिकूल असर हुआ । मूल्य संकेतों के न होने से ईंधन के अपर्याप्त प्रयोग और प्रतिकूल शुल्क ढांचे के परिणामस्वरूप रिफाइनरियों की सुरक्षा दर ऋणात्मक रही ।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली को 1975 से प्रचलित तेल समूह खाता से समर्थन मिला । तेल मूल्य घाटा तेल समन्वयन समिति (ओसीसी) द्वारा तेल कंपनियों को देय बकाया है । तेल समूह 1989-90 के बाद से घाटे में रहा । इस घाटे से इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अर्थक्षम नहीं रहीं और उन्हें आपूर्ति लाइन बनाये रखने के लिए वित्तीय प्रणाली से भारी मात्रा में उधार लेना पड़ा ।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली के विघटन से तेल कंपनियों से अपेक्षित है कि वे बाजार की शक्तियों के आधार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निश्चित करें, जबकि पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) मिट्टी के तेल और देशी एलपीजी को आर्थिक सहायता देना जारी रहेगा । इन आर्थिक सहायताओं को आगामी 3 से 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की योजना है । इन आर्थिक सहायताओं की लागत भारतीय समेकित निधि में से वहन की जायेगी, यद्यपि सरकार से अपेक्षित है कि वह इन आर्थिक सहायताओं को कठोरतापूर्वक कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर कर वसूल करे । तेल विपणन कंपनियों के पास उत्पाद मूल्यों में संशोधन करने के लिए लचीलापन होना चाहिए । तथापि, विनियामक की नियुक्ति जो तेल कंपनियों द्वारा बंदी विनिमय करार और अन्य ऐसी एकाधिकारात्मक प्रथाओं, जो उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक हो सकती हैं, से सुरक्षात्मक बचाव होगा ।

संदर्भ :

1. रिपोर्ट ऑफ दि स्टेटेजिक प्लॅनिंग ग्रूप ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑइल इन्डस्ट्रिज, पेट्रोलियम और नैसर्गिक वायु मंत्रालय, सितंबर 1996 ।
2. इंटेरिम रिपोर्ट ऑफ दि टेक्निकल ग्रूप ऑन फिस्कल इन्सेंटिव्ज हाइड्रो कार्बन सेक्टर, पेट्रोलियम और नैसर्गिक वायु मंत्रालय, नवंबर 1996 ।

है। 1 अप्रैल 2002 से नियंत्रित मूल्य प्रणाली (एपीएम) और तेल समूह खाता का विघटन तेल समूह खाते में बकाया शेष के समापन के लिए तेल कंपनियाँ तेल बाण्ड जारी करें । पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि बाजार की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होंगी। निजी कंपनियों को वितरण करने की अनुमति होगी, बशर्ते पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड द्वारा विशेष मार्गदर्शी नियमों के अनुसार उनका पर्यवेक्षण किया जाए। लिक्युफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और मिट्टी के तेल पर दी जानेवाली आर्थिक सहायता 1,अप्रैल 2002 से घटायी गयी है और ऐसा प्रस्ताव है कि आगामी 3 से 5 वर्षों में मिट्टी के तेल पर दी जानेवाली आर्थिक सहायता चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जायेगी (बॉक्स I.1)

1.36 पेंशन सुधारों के बारे में उपायों की रूपरेखा बनायी गयी है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) ने पेंशन निधियां स्थापित करने के लिए विनियामक ढांचे की सिफारिश की है ताकि व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ लेने के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर निधि में अभिदान कर सके । सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां जरूरतमंद व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 'जनरक्षा' नामक योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगी जिससे व्यक्ति प्रति दिन एक रुपये के बीमा प्रीमियम की अदायगी पर चयनित और नामित अस्पतालों में प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक इलाज करा सकेगा। ऐसी अपेक्षा है कि इस पहल से भारत में पेंशन सुधारों की गति को बढ़ावा मिलेगा (बाक्स I.2) ।

बाक्स I.2
पेंशन / भविष्य निधि : भारतीय परिदृश्य

भारत में सामान्य तौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं विद्यमान हैं ।इन योजनाओं को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : (i) केन्द्र सरकार पेंशन और भविष्य निधि, (ii) राज्य सरकार पेंशन और भविष्य निधि, (iii) गैर-सरकारी पेंशन और भविष्य निधि, (iv) लोक पेंशन और भविष्य निधि और (v) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम । ये निधियां अधिदेशात्मक, सार्वजनिक रूप से प्रबंधित और अधिदेशात्मक स्तर से अधिक के स्वैच्छिक अंशदान के लिए कर-प्रोत्साहनों के साथ प्रेरणादायक होती है । वे '(पे एॅज यू गो) (पीएवायजी) माडल' को अपनाती हैं जिसमें चालू राजस्व से अपेक्षित होता है कि वह चालू पेंशन दायित्वों का वित्तपोषण करे । तथापि स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है ।

केंद्र सरकार के पेंशन व्यय ने नब्बे के दशक के दौरान अत्यंत तेज वृद्धि दर्ज की । वर्ष 2001-02 (संशोधित अनुमान) में केंद्र सरकार के सकल व्यय में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का अंश 1990-91 में 3.8 प्रतिशत के मुकाबले उसकी राशि चालू राजस्व के 10.3 प्रतिशत थी । राज्यों के लिए पेंशन उनके बजट में सबसे अधिक तेजी से बढ़नेवाली मद रही, जो ग्यारहवें

(जारी....)

(समाप्त....)

वित्त आयोग (2000) की रिपोर्ट में दिये गये संकेत के अनुसार 'टिक टिक करता समय बम' बन गया । भविष्य निधि के कारण बकाया देयताओं की राशि 2000-01 में केंद्र की कुल बकाया देयताओं के 15.1 प्रतिशत और कुल राज्यों की देयताओं की राशि 15.5 प्रतिशत रही । साथ ही, दीर्घावधि में औसतन प्राथमिक प्रतिलाभ 15 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर 2001-02 में 8.76 प्रतिशत रहा और भविष्य /पेंशन निधियों पर ब्याज दर लगभग 9.50 प्रतिशत रही । यदि विभिन्न राजकोषीय रियायतों को ध्यान में लिया जाए तो सरकार को काफी अधिक प्रभावी लागत वहन करनी पड़ी । इसके साथ सहायता प्राप्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन के कारण होनेवाली देयताओं को भी सरकार के पेंशन बिल में जोड़ना आवश्यक है । भविष्य में इन देयताओं में वृद्धि होने की अपेक्षा होने के कारण चालू राजस्व के पहले से अधिकृत वृद्धिशील अनुपात केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियों को अस्थिर करनेवाले संभाव्य प्रमुख कारण बन जाते हैं । इसके अलावा इन देयताओं का आंशिक निधियन किया जाता है, उनका वास्तविक बजट प्रभाव अदृश्य स्वरूप का होता है और अब तक नयी प्राप्तियों का उपयोग इस 'पांजी' खेल मे देयताओं को चुकाने के लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त भविष्य निधियों को राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बाण्डों, राज्य विद्युत बोर्डों, सिंचाई परियोजनाओं, राज्य वित्तीय संस्थाओं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आदि में निवेशित किया जाता है जिसमें बकाया जोखिम का खतरा होता है ।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत में पेंशन सुधार की डिजाइन में कई आयामों पर ध्यान देना आवश्यक है । समग्र वित्तीय क्षेत्र सुधारों में आंतरिक रूप से पैदा होनेवाली ईक्विटी, संविदागत बचतों के अनुकूल प्रोत्साहनों का स्वरूप, पेंशन का राजकोषीय प्रभाव और उनका लेखाकरण, वित्तपोषण और आकस्मिक देयताएं जो भविष्य निधि और पेंशन को समान महत्त्व दिये जाने के कारण निर्माण हो सकती हैं, पेंशन निधियों के संचालन पर नियंत्रण रखनेवाले निर्धारणों के अनुसार सुरक्षा और पर्याप्त प्रतिलाभ तथा विनियामक पहलुओं की सुनिश्चितता पर विचार करना चाहिए । केन्द्रीय बजट 2001-02 में केन्द्र सरकारी सेवाओं में 1 अक्तूबर 2001 के बाद प्रवेश करनेवाले व्यक्तियों के लिए परिभाषित अंशदानों के आधार पर नये पेंशन कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है । केंद्रीय बजट 2002-03 में की गयी घोषणा के अनुसार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह ने मिश्रित योजना का प्रस्ताव रखा है जिसमें एक ओर तो कर्मचारी और संघ सरकार समतुल्य आधार पर संयुक्त अंशदान करेंगे और दूसरी ओर कर्मचारियों को पेंशन के रूप में परिभाषित लाभ मिलने की प्रतिबद्धता होगी ।

भारत में पेंशन और भविष्य निधि में सुधार की पहल हाल की गतिविधि है - जिसमें सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी ओएएसआइएस (वद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा) योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । इस समय पेंशन सुधारों को वित्तीय क्षेत्र के सुधारों और राजकोषीय समेकन के अभिन्न अंग के रूप में माना जा रहा है और इसलिए यह आवश्यक है कि उन पर वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किये जानेवाले अन्य सुधारों के साथ-साथ विचार किया जाए । सुधार की गति वित्तपोषण के सीमित स्रोत को घटाने और सुधारों के साथ सम्बद्ध संक्रमक संसाधन लागत को वहन करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर होगी । निधि निजी पेंशन प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक है कि उसे वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना के साथ-साथ मजबूतीकरण से समर्थन मिले । आनेवाले वर्षों में सुधारों की गतिविधि जारी रहने में पेंशन निधियों का उचित विनियमन और पर्यवेक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । साथ ही, कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली विभिन्न पेंशन और भविष्य निधियों को साझे विनियामक तंत्र के अधीन लाना आवश्यक है । उभरते परिदृश्य में यह भी आवश्यक हो सकता है कि पूर्णतः निधिक योजनाओं सहित पेंशन निधियों के लिए जोखिम प्रबंधन और संचालन संबंधी मार्गदर्शी नियमों पर विचार किया जाये । अन्य क्षेत्रों में उपुयक्त सुधारों को सुनिश्चित न करते हुए पेंशन प्रणाली या विनियामक प्रणाली में बड़े पैमाने पर कोई परिवर्तन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए ।

संदर्भ

1. भारत सरकार (2000) : ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट ।
2. भारत सरकार (2002 और 2003) : केन्द्रीय बजट ।
3. वाई.वी.रेड्डी (2000) : एशियाई विकास बैंक संस्थान द्वारा नई दिल्ली 24 नवंबर 2000 को आयोजित 'पेंशन सिस्टम रिफार्म कान्फरेंस' में 'पेंशन सिस्टम इन इंडिया : ए सेन्ट्रल बैंकर्स पर्सेक्टिव' नामक भाषण ।

1.37 राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधारों के विस्तार के लिए केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं - त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआइएफ), ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) के संबंध में अतिरिक्त आबंटन किया गया है जिसे राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र के विनियंत्रण और अविनियमन के साथ संबद्ध किया जायेगा ।

1.38 लघु उद्योगों को पर्याप्त ऋण मिलने के लिए उपाय किये गये और लघु व्यवसायियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों और लघु उद्यमकर्ताओं, व्यावसायिकों और अत्यंत लघु क्षेत्र सहित अन्य स्वनियोजित व्यक्तियों को सरलीकृत और उधारकर्ता के अनुकूल ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गयी है । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 'नेशनल इनोवेशन फाउण्डेशन' के सहयोग से उद्यमों में नवोन्मेष लाने के लिए अल्प परिवर्तन के लिए व्यष्टि उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की जा रही है ।

1.39 नियंत्रित दर और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डा.वाई.वी.रेड्डी) ने नियंत्रित ब्याज दर प्रणाली में सुधारों की रूपरेखा दी है । इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय बजट 2002-03 में ऐसी घोषणा की गयी है कि अल्प बचत की ब्याज दरों को गौण बाजार में तदनुरूपी परिपक्वता अवधिवाली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलनेवाले औसतन वार्षिक प्रतिलाभ के साथ संबद्ध किया जायेगा । ऐसे समायोजन स्वचालित और गैर-विवेकाधिकार के आधार पर वार्षिक रूप में

किये जायेंगे जिसके लिए भारत में ब्याज दर ढांचे की अनमनीयता स्वरूप में काफी कटौती करनी होगी (बाक्स 1.3)।

मौद्रिक नीति ढांचा

1.40 वर्ष 2001-02 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रयास यह सुनिश्चित करना था कि सभी संगत अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो तथा मूल्य स्थिर रहे। इस उद्देश्य की ओर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि के सक्रिय प्रबंध की अपनी नीति जारी रखी। 2001-02 के लिए मौद्रिक नीति की निम्नलिखित स्थिति के बारे में बताया गया था (i) मूल्यों के स्तर में उतार-चढ़ाव पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए, ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा निवेश मांग को पुनरुज्जीवित करने के लिए पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराना, (ii) मध्यम अवधि के दौरान ब्याज दरों की प्रणाली को अधिक लचीलापन प्रदान करने के समग्र ढाँचे के अंतर्गत, मौजूदा स्थिर ब्याज दरों के परिवेश को परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप ब्याज दरों को कम करने के अभियान के साथ बनाये रखना। बैंक और वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक नीति को पलट देने अथवा कठोर करने की संभावनाओं से संवेदी थे क्योंकि वर्तमान में मौजूद सौम्य स्फीतिकारी माहौल में कुछ परिवर्तन आए या कुछ असुविधाजनक तथा अप्रत्याशित बाह्य गतिविधियाँ हो जाएं तो इस नीति को पलट दिया जाएगा।

बाक्स 1.3

नियंत्रित ब्याज दरों की प्रणाली तथा अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति

ब्याज दरों में लचीलापन प्राप्त करने की दृष्टि से तथा ब्याज दरों की प्रणाली तथा अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार ने 19 अप्रैल 2001 को (डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में) एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 17 दिसम्बर 2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति ने, यह देखा है कि अल्प बचतों का मूल तत्व व्यक्तियों की दीर्घकालीन बचतों के लिए सुरक्षित रास्ता उपल्ब्ध कराना है। भारत में अल्प बचत योजनाओं की संचालित ब्याज दरों पर शुरुआत तभी हुई थी जब बैंकिंग तथा पूंजी बाजार अविकसित थे तथा बचतकर्ता सरकार की ओर विश्वसनीय बैंकर के रूप में देखते थे। समय के बाद ये लिखतें ब्याज दरों की मीयादी संरचना में विसंगतियॉ उत्पन्न करते हुए तथा बढ़ती देयताओं के अनुरूप निश्चित आस्ति विन्यास का अभाव होते हुए राजकोषीय घाटे के लिए उच्च लागत तथा अपारदर्शी स्रोत के रूप में बन गये।

समिति ने यह पाया है कि भविष्य में, इनमें से अधिकांश निधियाँ निजी रूप में प्रबंधित की जाएंगी तथा उनमें भारी और विविध निवेश संविभाग होंगे। केन्द्र सरकार का मध्यावधि लक्ष्य एक ऐसी सुविचारित निवेश नीति की घोषणा करना होगा जो पूर्णतः स्वतंत्र और व्यावसायिक रूप से प्रबंधित एवं वित्तपोषित दीर्घावधिक बचत योजनाओं की ओर अंतरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनायेगी ।

मौद्रिक नीति के प्रसारण के लिए ब्याज दर माध्यम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अल्प बचत दर सहित अर्थव्यवस्था की सभी ब्याज दरों को मौद्रिक नीतिगत परिवर्तनों के अनुरूप होना चाहिए। इसी समय समिति ने इस संभावना की जाँच की है कि अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों को उपर्युक्त बेंच मार्किंग (आधार-निर्धारण) के माध्यम से बाजार आधारित ब्याज दरों के साथ संबद्ध किया जाए। सभी संभाव्य विकल्पों पर विचार करने के बाद समिति ने "सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत द्वितीयक बाजार से होने वाली आय की सिफारिश उपयुक्त बेंच मार्किंग के रूप में की क्योंकि वह बाजार निर्धारित है । वास्तविक प्रतिलाभ सुनिश्चित करनेवाली तथा अन्य दरों के लिए जोखिम रहित आधार की निर्धारक होगी।"

समिति ने "कर नीति और कर -प्रशासन पर शोम परामर्शी समूह" की अल्पावधिक और मध्यावधिक लिखतों से संबंधित सिफारिशों से अपनी सहमति व्यक्त की तथा यह सुझाव दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 80 एल, धारा 88 तथा धारा 10 के अंतर्गत अल्प और 6 वर्षों तक परिपक्वता वाले मध्यावधिक वित्तीय आस्तियों पर सभी कर प्रोत्साहनों को समाप्त कर दिया जाए। दीर्घावधिक बचतों के संबंध में, समिति ने सिफारिश की कि अर्जन के समय कर-रियायत आय कर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत दी जाए। परिपक्वता के समय सभी आहरणों पर 10 प्रतिशत की एक समान दर पर कर लगाया जाए।

समिति के समक्ष एक विचारणीय विषय था। अल्प बचतों में होने वाली संपूर्ण निवल प्राप्तियों को राज्यों को अंतरित करने की संभावना का पता लगाना। समिति ने यह महसूस किया कि अल्प बचतों के संग्रहण के प्रति केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों तथा अल्प बचत जमाराशियों की परिपक्वता के बीच में लम्बे समय से चली आ रही परिपक्वता संबंधी विसंगतियों की लटकती समस्या को भी साथ-साथ निपटाया जाए। तथापि समिति ने यह अनुभव किया कि पूर्ण विकेन्द्रीकरण राज्य सरकारों के हितों के विरुद्ध होगा। अतः राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को (एनएसएसएफ) को अल्प बचतों के संग्रहण और निवेशकों को उसकी चुकौती के लिए सारणी के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए। समिति ने अपना मत व्यक्त किया कि 31 मार्च 2002 के बाद संग्रह की गई संपूर्ण निवल आय राज्य सरकारों को अंतरित की जानी चाहिए। तदनुसार, मार्च 2002 को बकाया अल्प बचत देयताओं की चुकौती केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने-अपने अंश के अनुसार संयुक्त रूप से करनी चाहिए। केन्द्र सरकार का मार्च 2002 के बाद नयी उगाही में कोई अंश नहीं होगा। प्रत्येक राज्य सरकार को अपने बजटीय संसाधनों को बनाये रखने के लिए अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के प्रति अपनी देयताओं को समय सारणी से पहले ही अनिवार्य रूप से अदा कर देना चाहिए क्योंकि वह उन्हीं के सहायता में होगा कि वे अपनी उच्च लागत वाली पिछली देयताओं के स्थान पर कम लागतवाली उधार राशियां जुटा लें।

संदर्भ

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (2001) "नियंत्रित ब्याज दरों की प्रणाली तथा अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : डॉ. वाई.वी. रेड्डी)" भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, नवम्बर

1.41 मौद्रिक नीतिगत उद्देश्यों के अनुसरण में 2001-02 के दौरान किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ 23 अक्तूबर 2001 से बैंक दर में की गई 50 आधार अंकों की कटौती, जिसमें बैंक दर 6.5 प्रतिशत हो गई जो मई 1973 के बाद की न्यूनतम दर है, दो चरणों में की गई 200 अंकों की कटौती से 7.5 प्रतिशत की वर्तमान दर को 5.5 प्रतिशत के रूप में कम करके नकदी प्रारक्षित अनुपात में किया गया युक्तिकरण तथा अंतर-बैंक देयताओं को छोड़कर अन्य देयताओं पर नकदी प्रारक्षित अनुपात से छूट की वापसी, मूल उधार दर (पीएलआर) से भी कम दर पर उधार देने के लिए बैंकों को दी गई स्वतंत्रता, 24 सितम्बर 2001 से रुपया निर्यात ऋणों की उच्चतम दर में सभी स्तरों में की गई एक प्रतिशत अंक की कटौती तथा युक्तिकरण, 3 चरणों में रिपो दरों में की गई 100 आधार अंकों की कटौती, चलनिधि समायोजन सुविधाओं तथा स्थायी चलनिधि सुविधाओं में किये गये सुधार आदि शामिल हैं ।

1.42 नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा रिपो दर परिवर्तनों के साथ बैंक दर परिवर्तन, ब्याज दर परिवर्तनों के लिए संकेतक उपकरणों के रूप में तथा चलनिधि और मौद्रिक प्रबंध के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं । चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), दैनिक आधार पर अधिक लचीले प्रकार से चलनिधि को खपाने तथा / या उसका निवेश करने के लिए तथा इस प्रक्रिया के दौरान, मांग मुद्रा बजार के लिए एक दायरा प्रदान करने के लिए, प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो गई हैं ।

1.43 वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु, 2002-03 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वद्धि दर अप्रैल 2002 के मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य में 6.0-6.5 प्रतिशत तक निश्चित किया था। मुद्रास्फीति की दर के बारे में अनुमान है कि वह 4.0 प्रतिशत से थोड़ी कम रहेगी । 2002-03 के लिए व्यापक मुद्रा ($एम_3$) में अनुमानित वृद्धि 14.0 प्रतिशत है। व्यापक मुद्रा में होनेवाली इस वृद्धि के अनुरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में वृद्धि होगी तथा वह 1,54,000 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है । वाणिज्यिक पत्रों में निवेश के लिए समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा निजी कंपनी क्षेत्र के शेयरों/डिबेंचरों/ बांडों में 15.0-15.5 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है । ऋण की मात्रा में होनेवाली इस वृद्धि से अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन क्षेत्रों की ऋण संबंधी अन्य देयताएं पूरी हो जाने की संभावना है । इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक अपने प्रयास जारी रखना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संगत अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो रहा है तथा मूल्य स्थिरता बनी रहे । इस उद्देश्य की ओर रिज़र्व बैंक अपने पास उपलब्ध नीतिगत लिखतों से, जहाँ आवश्यक है, चलनिधि के सक्रिय प्रबंध की अपनी नीति जारी रखेगा, जब तक परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं होता, रिज़र्व बैंक मौजूदा ब्याज दर परिवेश को बनाये रखेगा तथा उसको मध्यावधि में ब्याज दर को कम कर देने का सुझाव होगा । इसके अलावा, रिज़र्व बैंक का दीर्घावधि लक्ष्य रहेगा, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी प्रकार की ऋण लिखतों की ब्याज दरों की एक संकीर्ण सीमा में पुनर्संरचना, वित्तीय बाजार के विकास और सहज क्रिया-कलाप की दिशा में तथा अधिक दक्षता, पारदर्शिता तथा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक भी अपने प्रयास जारी रखेगा ।

1.44 2002-03 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की अवस्थिति के अनुसरण में, नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) को आधा प्रतिशत अंक की कटौती करके 5.00 प्रतिशत कर दिया गया, जो 15 जून 2002 से प्रभावी होना था लेकिन, बाद में, उसे 1 जून 2002 से ही लागू कर दिया गया । बैंक दर के संबंध में एक लचीली अवस्थिति अपनाई गई तथा यह सूचित किया गया कि जब कभी आवश्यक हो 50 आधार अंकों तक की कटौती की जाएगी । जमाओं के लिए परिवर्ती दर प्रणाली प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए ब्याज दर नीति में लचीलापन प्रदान करने और मूल उधार दरों (पीएलआर) के संबंध में अधिकतम दर निर्धारण तथा उधारकर्ताओं द्वारा देय विभिन्न प्रभारों के प्रकटीकरण में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया । विदेशी मुद्रा निर्यात ऋणों की अधिकतम ब्याज दरों की सीमा को 25 आधार अंकों तक कम कर दिया गया ।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार

1.45 वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने तथा वित्तीय बाजार के विभिन्न संघटकों की गतिविधियों में सुधार लाने की दृष्टि से 2001-02 में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में संरचनात्मक एवं विनियामक उपायों पर संकेन्द्रित करने की प्रवृत्ति जारी रही । अभी तक, 2002-03 के दौरान इस दिशा में सुधार त्वरित हो गये हैं तथा अपविनियमन के साथ प्रौद्योगिकी के पारस्परिक प्रभाव के परिवेश में वित्तीय प्रणाली की प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दायित्वों को पुनः परिभाषित करने तथा आस्ति-देयता प्रबंध पर अधिक निगरानी रखने के लिए प्राथमिकता दी गई ।

वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन

1.46 हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों के निष्पादन में विभिन्न घटकों की व्यापकता और गहनता तथा उसे पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं से लैस करते हुए सुधार लाना नीतिगत उपायों का एक मुख्य उद्देश्य रहा है ।

मुद्रा बाजार

1.47 सुव्यवस्थित दशाएं सुनिश्चित करने के अलवा रिज़र्व बैंक नें अतिरिक्त मांग/नोटिस मुद्रा बाजार को चरणबद्ध तरीके से पूर्णत: अंतर बैंक बाजार के अनुरूप विकसित करना शुरू किया है । 2000-01 में गैर-बैंक मांग ऋणों को घटाकर औसत उधार के 85 प्रतिशत तक कर दिया गया हैं । कंपनियों को जुलाई 2001 से इस बाजार से बाहर

कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, मांग /सूचना मुद्रा बाजार में गैर-बैंक उधार को और घटाकर 75 प्रतिशत तक करने पर तब विचार किया जा सकता है जब सौदागत लेनदेन प्रणाली (एनडीएस), और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) पूर्ण परिचालित हो जायें और उनका व्यापक रूप से उपयोग होने लगे। बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को स्थायी चलनिधि सहायता को भी युक्तियुक्त बनाया गया तथा इसमें परिवर्ती दर पर दो-तिहाई सुविधा को सामान्य सुविधा के रूप में तथा शेष एक-तिहाई को बैक-स्टॉप सुविधा के रूप में बाँटा गया है तथा यह एलएएफ/एनएसई-मिबोर के अंतर्गत रिवर्स रिपो/रिपो दर के अंतर के रूप में अथवा वैकल्पिक रूप में जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाए, होगा । लेन देन को सुविधा जनक बनाने के उद्धेश्य से चलनिधि समायोजन सुविधा में परिचालनात्मक आशोधन किये हैं। 11 अगस्त, 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से प्रभावी बैंकों की दैनिक न्यूनतम प्रारक्षित निधियां रखने सम्बंधी अपेक्षाओं को शेष नकदी प्रारक्षित अनुपात के 65 प्रतिशत से कम करके प्रथम सप्ताह के लिए 50 प्रतिशत कर दिया गया। जब कि सप्ताह के लिए इसे 11 अगस्त 2001 से प्रथम पखवाड़े के लिए 65 प्रतिशत रखा गया।

1.48 आमतौर पर रिपो की नीलामी बिना किसी पूर्वघोषित दर के संचालित की जाती है तथपि रिज़र्व बैंक ने अपने विकल्प का प्रयोग किया और 5 मार्च 2002 के 6 प्रतिशत की न्यूनतम अभीष्टतम दर पर नियत दर रिपो का संचालन किया। उसके बाद 27 जून 2002 को रिपो अधिकतम दर घटाकर 5.75 प्रतिशत कर दी गई। रिज़र्व बैंक ने 5 नवम्बर 2001 से 14 दिवसीय दीर्घतर मीयादी रिपो शुरू की। प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के मांग / नोटिस मुद्रा उधार के साथ माँग/नोटिस मुद्रा बाजार के निवेश जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमाएं अक्तूबर-दिसम्बर 2002 से लागू की जानी हैं। (देखें खण्ड IX)।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

1.49 वर्ष 2001-02 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार को और मजबूत बनाने तथा व्यापक बनाने का प्रयास जारी रहा। सरकारी ऋण की परिपक्वता रूपरेखा को 25 वर्षीय परिपक्वता वाले बॉण्ड के निर्गम से दीर्घ बनाया गया। मूल्य आधारित नीलामी के जरिए वर्तमान स्टॉकों के पुनर्निर्गमन के जरिए "निष्क्रिय समेकन" किया गया। कॉल ऍन्ड पुट आप्शन के लाभ सचल दर बॉण्ड (एफआरबी) को 2001-02 से पुनः प्रवर्तित किये गये। निवेशों की बेहतर आयोजना के योग्य बनाने के लिए मार्च 2002 में 2002-03 की पहली छमाही के लिए केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के मूल निर्गम पारदर्शिता में सुधार करने के लिए एक निर्देशात्मक कैलेंडर की घोषणा की थी।

1.50 सौदाकृत लेन-देन प्रणाली (प्रथम चरण) का परिचालन 15 फरवरी 2002 से शुरू किया गया ताकि केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी तथा खुले बाजार परिचालन/ चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों में ऑन-लाइन बोली सुविधा स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन तथा मुद्रा बाजार और गिल्ट बाजार लिखतों में कारोबार की सूचना उपलब्ध करायी जा सके। समकालीन भारतीय समाशोधन निगम लि. ने भी सरकारी प्रतिभूतियों (रिपो सहित) में लेन-देन के समाशोधन और निपटान के लिए अपना परिचालन शुरू किया। विद्यमान लोक ऋण अधिनियम, 1944 के स्थान पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के लागू किये जाने से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की प्रक्रिया सरल हो जायेगी। प्रतिभूतियों का धारणाधिकार चिह्नन/ गिरवी रखने तथा डिमैट (अभौतिकीकृत) रूप में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की अनुमति देगा।

विदेशी मुद्रा बाजार

1.51 विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य बाजार के कारकों द्वारा निर्धारित होनेवाली विनिमय दर की अस्थिरता (परिवर्तनीयता) का प्रबंधन करना है जिसका कोई नियत लक्ष्य नहीं है। वर्ष 2001-02 के दौरान पूँजी खाता लेनदेन को इसके पहले उल्लिखित किये गये अनुसार और उदार बनाया गया। बैंकों द्वारा विदेशी उधार तथा निवेश पर अर्जक टियर I पूंजी के 15 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। बैंकों को अपने-अपने एफसीएनआर(बी) जमाओं को अधिक दीर्घावधि नियत आय लिखतों में निवेश की अनुमति दी गई । 1-3 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले एफसीएनआर(बी) जमाओं पर अधिकतम दर में अधोगामी संशोधन किया गया।

1.52 बैंकों को और अधिक परिचालनात्मक नमनीयता प्रदान करने तथा घरेलू ब्याज दरों को अंतर्राष्ट्रीय दरों के स्तर पर लाने के मद्देनजर आयातकों और निर्यातकों को निवेश की घोषणा के आधार पर 50 मिलियन अमरीकी डालर अथवा इसके समकक्ष की सीमा के अधीन वायदा संविदा करने की अनुमति दी गई। वायदा संविदा रद्द करने तथा पुनः बुक करने की सुविधा 1 अप्रैल 2002 से सभी वायदा संविदाओं को दी गई जो केवल निर्यात लेनदेन के लिए ही उपलब्ध थी। ईईएफसी स्कीम बेहतर पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाले निर्यातकों के लिए और उदार बनायी गई।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार

1.53 2001-02 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में उठाए गए नीतिगत उपाय बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से निदेशित थे। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए - अंतर्राष्ट्रीय मानकों को क्रमशः हासिल करने के लिए कठोर परिचालनात्मक विवेकपूर्ण तथा लेखांकन मानक अपनाना, ऋण भुगतान प्रणाली में सुधार तथा विभिन्न प्रकार के संस्थानों के विनियामक ढांचे में विविधता को क्रमशः कम करना विवेकपूर्ण नियमों के सख्तीकरण में निवेश तथा प्रकटीकरण मानक निवेश संबंधी दिशानिर्देश, जोखिम प्रबंधन, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण आदि आते हैं। बैंकों को बाजार जोखिम के लिए पूँजी समनुदेशन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों का अनुसरण करने

के प्रयोजन से अपने को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रिज़र्व बैंक के विनियामक पर्यवेक्षण को पुनःपरिभाषित करने की दिशा में उठाए गए पहलों में स्वामित्व के मुद्दे के संबंध में हितों के संभावित टकराव को शांत करने, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, समेकित लेखांकन तथा पर्यवेक्षण, कार्यस्थल से इतर निगरानी तथा निरीक्षण शामिल हैं। गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन के मुद्दों तथा उससे संबंधित पर्यवेक्षणात्मक पहलों जिसमें आस्ति पुनर्संरचना कम्पनी की स्थापना और सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों का पुनरुद्धार शामिल है - पर भी नीति संबंधी ध्यान दिए गए। 2001-02 के दौरान बीमा क्षेत्र में बैंकिंग कार्यकलाप के नए अवसर उत्पन्न किए गए तथा बैंकिंग क्षेत्र की पैठ के अवसर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोल दिये गये।

विवेकपूर्ण मानदण्ड

1.54 बैंकों की पूँजी निधि के रूप में परिभाषित निवेश सीमा को व्यक्तिगत तथा समूह-उधारकर्ताओं के लिए मार्च 2002 से कम किया गया। निवेश की अधिकतम सीमा के प्रयोजन से विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों के समकक्ष लाया गया। बैंकों द्वारा इक्विटी और निवेश के वित्तपोषण की सीमा को बढ़ा दिया गया ताकि बैंकों के पूँजी बाजार में निवेश की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर मार्जिन (लाभ) लेन-देन के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय के साथ बैंकों को अनुमति दी जा सके, जिसमें अभौतिकीकृत लेनदेन की अपेक्षाएं शामिल हैं।

1.55 बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानकों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप अभिसरण के लिए तैयार रहे। मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गैर-निष्पादक आस्तियों तथा निवेश के मूल्यह्रास के मद में किए गए प्रावधान की गतिविधियों के संबंध में कम्पनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) के अंतर्गत ऋण आस्तियों की कुल राशि तथा सीडीआर के अंतर्गत अवमानक और मानक आस्तियों की राशि को प्रकट करें।

1.56 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री से हासिल लाभों का उपयोग करने के लिए अधिक विवेकपूर्ण नीति का अनुसरण करें, उन्हें यह निदेश दिया गया कि वे प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री पर हासिल लाभ की अधिकतम राशि निवेश विचलन रिज़र्व (आइएफआर) खातों में अंतरित करें जिसे 5 वर्ष की अवधि में "लेन-देन के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" वर्ग के अंतर्गत उनके निवेश का न्यूनतम 5 प्रतिशत तक होना चाहिए जिसमें आईएफआर में बैंक संविभाग को बढ़कर 10 प्रतिशत तक धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के मुद्दे

1.57 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने बहु-संकायी कार्यकारी समूह के जरिए समेकित पर्यवेक्षण के लिए देश विदेश दृष्टिकोण विकसित किया जिसने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुरूप समेकित पर्यवेक्षण के लिए समेकित लेखांकन पद्धतियों को शुरू करने संबंधी पहलुओं की जाँच की। 2001-02 के दौरान अप्रत्यक्ष (कार्यस्थलेतर) निगरानी की विवरणियों की आवृत्ति को बढ़ाकर मासिक आधार पर कर दिया गया तथा संक्रमण प्रबंधन के मुद्दे के समाधान सहित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति हुई।

1.58 भारतीय समाशोधन निगम जैसी प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए भुगतान तथा निपटान सेवाएं संपादित करनेवाली संस्थाओं का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाए तथा पर्यवेक्षण का प्राधिकार वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) में निहित हो। इसी प्रकार वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व के लिए प्राथमिक व्यापारियों के परिचालनों के बढ़ते हुए प्रणालीगत निहितार्थ को देखते हुए उन्हें वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के विनियमन के अधिकार क्षेत्र में लाया गया हैं।

1.59 विनियमित वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व से उत्पन्न संभावित हितों के टकराव के परिहार के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा डिस्काउंट एण्ड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया में अपनी पूरी धारिता समाप्त कर दी। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा नाबार्ड में भी रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी धारिता समाप्त करने का प्रस्ताव है। विकास के वित्तपोषण संबंधी कार्यों को समाप्त करने के उद्देश्य के अनुपालन में रिज़र्व बैंक ने ऋणों और अग्रिमों संबंधी आस्तियों को सरकार के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से विकास वित्तीय संस्थानों को अंतरित कर दिया जिनके स्थान पर निजी स्थानन के जरिए भारत सरकार की दीर्घावधि प्रतिभूतियॉ जारी की गयी।

1.60 बैंकों-वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के परामर्शदात्री समूह (अध्यक्ष : डॉ. ए.एस. गांगुली) का गठन किया गया ताकि बैंकों के बोर्ड के पर्यवेक्षणात्मक भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके। समूह की प्रमुख सिफारिशें पर अनुभाग X में विचार किया गया है। बैंकों से अनुरोध किया है कि वे रिर्पोट को अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखें। समूह की कतिपय सिफारिशों पर सरकार का अनुमोदन अथवा वैधानिक संशोधन अपेक्षित है।

गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रबंधन

1.61 बैंकिंग प्रणाली की गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का स्तर घटाने तथा उनके बेहतर प्रबंधन के लिए अनेक पहल की गई हैं। लघु तथा सीमांत किसानों के संबंध में एक विशेष एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना लागू की गई। बैंकों को, कारोबार अथवा प्रयोजन का विभेद न करते हुए सभी क्षेत्रों में लघु ऋणकर्ताओं के ऋणों की वसूली के लिए नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। 2002-03 के संघीय बजट में बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादक आस्तियों का अधिग्रहण

करने तथा प्रतिभूतिकृत ऋणों का बाजार विकसित करने के लिए एक प्रायोगिक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) की स्थापना की घोषणा की गई ।

संस्थागत मुद्दे

1.62 बैंकिंग क्षेत्र को गहन बनाने तथा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्र में प्रतियोगिता जगाने के लिए नीतिगत प्रयासों की गति तीव्र की गई । बैंकों को मुक्त रूप से अधिकृत शेयरों की कीमत निर्धारित करने तथा शेयर निर्गम की अनुमति प्रदान की गई तथा बोनस शेयरों को अधिकृत शेयरों से असंबद्ध कर दिया गया । गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49 प्रतिशत की अनुमति निवासी भारतीयों से अनिवासी भारतीयों को मौजूदा शेयरों के अंतरण के साथ अनुमति प्रदान की गयी थी जिसके लिए एफआइपीबी की अनुमति अपेक्षित है । समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय प्रवर्तकों की शेयरधारिता की सीमा उनकी चुकता पूंजी बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संविभाग निवेश की अनुमति प्रदान की गई । विदेशी बैंकों को भारत में सहायक संस्थाएं खोलने की अनुमति दी गयी थी । 2002-03 के संघीय बजट में यह घोषणा की गई है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को बैंक जमा बीमा निगम में परिवर्तित किया जाएगा ।

शहरी सहकारी बैंक

1.63 न्यूनतम उधार दर (एमएनआर) संबंधी शर्त समाप्त करने की घोषणा 2002-03 की मौद्रिक तथा ऋण नीति में की गई है, शहरी सहकारी बैंक उपयुक्त प्रकटीकरण मानदंडों के अधीन अपनी उधार दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं । शहरी बैंकों को परामर्श दिया गया कि वे विभिन्न परिपक्वता अवधिवाली मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दर की समीक्षा करें तथा उन्हें वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जा रही दरों से तुलनीय बनाएं ।

1.64 शहरी सहकारी बैंकों को ऋण तथा बाजार जोखिम में उनके निवेश जोखिम को न्यूनतम रखने के लिए विवेक-सम्मत मानदंड जारी किए गए । उन्हें मार्च 2002 तक आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान का प्रारंभ करना भी अपेक्षित है । पुनरुज्जीवन योजना कार्यान्वयन के प्रयासों पर ध्यान तेज करने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों के कमजोर तथा रुग्ण के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों में भी संशोधन किया गया । राज्य सरकारों को, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले शहरी सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों के एक बारगी निपटान के संबंध में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए । इस क्षेत्र में हाल की समस्याएं तथा बैंकिंग प्रणाली के अन्य घटकों में उनके संक्रमण के खतरे को देखते हुए पंजीकरण तथा लाइसेंसीकरण कार्यविधि की गंभीर समीक्षा की गई । माधवराव समिति की सिफारिशें सभी सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जानी थीं । शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के संबंध में एक परामर्शदात्री भूमिका में भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता करने के लिए एक बाह्य स्क्रीनिंग समिति की स्थापना की गई । वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक अप्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली लागू की गई थी जो सभी शहरी सहकारी बैंकों पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी । उसी तरह आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली भी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए शुरू की गई है ।

वित्तीय संस्थाएं

1.65 अगस्त 2001 में वित्तीय संस्थाओं के लिए पूँजी / पर्याप्तता संबंधी मानकों में संशोधन करके कर्मचारियों को प्रदत्त ऐसे सभी ऋणों और अग्रिमों पर, जो अधिवर्षिता लाभ तथा फ्लैट /मकान को दृष्टिबंधक रखकर सुरक्षित किये गये हैं, पर 20 प्रतिशत के जोखिम भार तथा अन्य ऋणों और अग्रिमों पर 100 प्रतिशत के जोखिम भार के लिए प्रावधान करने के कहा गया है। जून 2002 में पुनर्वित्त संस्थाओं को परामर्श दिया गया कि सरकारी गारंटीकृत खातों को गैर-निष्पादक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न करें, भले ही उनमें राशि बकाया हो तथा उन्हें आय की पहचान के प्रयोजनों के लिए गणना में न लिया जाये, जबतक गारंटियों को हटा नही दिया गया हो। इसी प्रकार पुनर्वित्त संस्थाओं के लिए निवेश जोखिम संबंधी मानदंड उनके प्रत्यक्ष निवेश पर लागू होंगे, न कि उनके पुनर्वित्त संविभाग पर, जिनके लिए वित्तीय संस्थाओं को अपने मानदण्डों तैयार करने होंगे जो उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों । वित्तीय संस्थाओं के प्रकटीकरण मानदण्डो का विस्तार किया गया तथा इसमें गैर-निष्पादक अस्तियों संबधी प्रावधानों में घट-बढ़ तथा निवेश संविभाग में मूल्यह्रास को भी सम्मिलित किया गया । अस्तियो के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में ट्रीटमेंट ऑफ टाईम ओवररन को (अधिक समय लगना) पुन:परिभाषित/पुन:वर्गीकृत किया गया । वित्तीय संस्थाओं के बीमा व्यवसाय में प्रवेश के संबंध में मानदण्ड निर्धारित किए गए । रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के लिए भी पर्यवेक्षी साख निर्धारण मॉडल आधारित कॅमेलस लागू किये ।

कारपोरेट ऋण का पुनर्विन्यास

1.66 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आइ एफ आर) ऋण वसूली प्राधिकरण (डी आर टी) तथा अन्य विधिक कार्रवाइयों के अधिकार क्षेत्र से परे आंतरिक और बाह्य घटकों से प्रभावित व्यवहार्य निगमित निकायों के पुनर्विन्यास के लिए एक पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से अगस्त 2001 में एक त्रिस्तरीय कम्पनी ऋण पुनर्विन्यास (सीडी आर) प्रणाली लागू की गई । संघीय बजट 2002-03 के एक प्रस्ताव के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने

कारपोरेट ऋण विन्यास योजना (सीडीआर) के परिचालन की समीक्षा करने, इसके सुगम कार्यान्वयन में आने वाली परिचालनगत कठिनाइयों का पता लगाने तथा योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक उच्च-स्तरीय दल (अध्यक्ष श्री वेपा कामेसम, उपगवर्नर) का गठन किया । दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है । अंतरिम उपाय के रुप में ऋणदाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य की दृष्टि से) सीडीआर के लिए सहमति देते हैं, भले ही आस्ति वर्गीकरण के संबंध में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं में मत वैभिन्य हो, तो सीडीआर "कोर ग्रुप" की विशिष्ट सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पुनर्विन्यास की अनुमति दी जाएगी ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

1.67 वर्ष 2001-02 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित नीति का प्रमुख बल बैंकिंग उद्योग के अनुरूप गैर-बैंकिंग कंपनियों के परिचालन, विवेक-सम्मत और लेखाकरण संबंधी मानकों तथा कार्यप्रणालियों में एकीकरण लाने पर था । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक / पर्यवेक्षी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निवेश नीति तथा निवेश वर्गीकरण, हानिगत-आस्तियाँ की पहचान तथा सूचना / मांग ऋण के संबंध में ऋण नीति की आवश्यकता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति-देयता प्रबंध (ए एम एम) प्रणाली के लिए 27 जून 2001 को जारी दिशा निर्देश 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से प्रभावशील हो गए । आय की पहचान के मानदंड के प्रयोजन से 'गत देय' की अवधारणा 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र से समाप्त कर दी गई है । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उनकी सार्वजनिक जमाओं पर देय अधिक ब्याज दर में कमी की गई ।

1.68 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अनुशासन की भावना जगाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक में विवरण प्रस्तुत न करने के संबंध में क्रमिक रूप से गंभीर कार्रवाई करने का निर्णय किया गया है । ऐसी कार्रवाई में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत यथा उपबंधित अर्थदंड तथा पंजीयन प्रमाण अस्वीकृत / रद्द करने पर विचार करने के अतिरिक्त न्यायालयीन कार्रवाई प्रारंभ करना भी सम्मिलित है । इसकी शुरुआत 50 करोड़ रुपयों की सार्वजनिक जमावाली ऐसी गैर-बैंकिंग कंपनियों से कि जा रही है जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत न करने की चूक की है।

1.69 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक तंत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कार्यप्रणाली की निगरानी में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धन निवेश करने से पहले विचारणीय तत्त्व आदि के संबंध में मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निवेशकों को शिक्षित करने के अपने प्रयास जारी रखे।

काले धन को सफेद करना तथा आंतकवाद का वित्तपोषण

1.70 काले धन को सफेद करने तथा आतंकवाद का वित्तपोषण करने के लिए वित्तीय प्रणाली के उपयोग किए जाने के प्रति बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय चिन्ता में शामिल होते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सरकार ने अपराधिक गतिविधियों से बनाए धन को सफेद बनाने के लिए वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए अनेक उपायों की शुरुआत की है । अपराधिक कार्यकलापों से कमाए धन के अंतरण अथवा जमा करने में नासमझी में बैंकों का उपयोग किए जाने से सुरक्षा की दृष्टि से 'अपने ग्राहक को जानिए' तथा नकदी लेनदेन संबंधी मौजूदा अनुदेशों को पुनर्बलित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी क्रिया विधि के कड़ाई से अनुपालन के साथ ही बैंकों द्वारा लागू की जाने वाली नीति की कार्यविधि तथा नियंत्रण का निर्धारण किया जाएगा ।

1.71 हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए तथा बाजार एकीकरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानक की तुलना में भारत की स्थिति के आलोचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता समझते हुए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानक और संहिताओं संबंधी स्थायी समिति ने 'बाजार एकीकरण' के संबंध में एक आंतरिक तकनीकी दल का गठन किया है । दल की रिपोर्ट में बाजार एकीकरण संबंधी जी 7 सिद्धांतों के मामले में भारत की स्थिति का मूल्यांकन तथा काले धन को सफेद करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के वित्त के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) की सिफारिशों की गई हैं जो कि इस संबंध में बेंच मार्क का कार्य करती हैं । उक्त रिपोर्ट में काले धन को वैध बनाने के खिलाफ लड़ाई के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का विहगावलोकन किया गया है तथा उक्त रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र में अपराधिक कार्यकलापों के विरुद्ध खोज बीन करने तथा विधि अनुप्रवर्तन के प्रयोजन से वर्तमान विधियों तथा विनियमों की संक्षिप्त समीक्षा करती है तथा काले धन को सफेद बनाने की रोकथाम के लिए किए गए हाल ही के प्रयासों का संज्ञान लेती है । "बाजार एकीकरण" पर रिपोर्ट का कार्यकारी पूरा पाठ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

पूँजी बाजारों के लिए नीतियाँ

1.72 वर्ष 2001-02 के दौरान सभी स्क्रिप्स के लिए टी+5 आधार पर आवर्ती निपटान के विस्तार सहित पूँजी बाजारों में निपटान कार्यप्रणालियों में अनेक परिवर्तन किये गये थे। स्टाक एक्सचेंजों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रतिभूति बाजार में अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप सशक्त बनाया गया । वर्ष में कंपनी संचालन पद्धतियों में सुधार हेतु मुख्य संस्थागत परिवर्तन भी दिखाई दिये । सार्वजनिक निर्गमों को साथ लाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राथमिक बाजार में शेयरों के निर्गम के लिए मानदण्ड और आसान बनाये गये । व्युत्पन्नी खण्ड में उत्पाद दायरा और बढ़ाने के लिए इसमें इन्डैक्स आप्शंस, स्टाक आप्शंस तथा स्टाक फ्युचर्स को शामिल किया गया ।

प्राथमिक बाजार

1.73 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों (एफवीसीआइ) तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआरडीसी) को अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) के रूप में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समावेश करने हेतु सेबी मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2000 में संशोधन किये। उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ) तथा एफवीसीआइ द्वारा धारित असूचीबद्ध कंपनी के शेयर पूँजी के पूर्व निर्गम के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि भी हटायी गयी और बुक बिल्डिंग के जरिए किसी शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) के मामले में 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निर्गम आकार के प्रतिबंध हटाये गये। किसी बुक बिल्डिग निर्गम में किसी श्रेणी के लिए निर्धारित मूल्य भाग का अंशदान न किये गये हिस्से का आबंटन करने अथवा उसे पूर्णत: समाप्त करने के लिए विकल्प दिया गया। सरकार ने पुन:खरीद मानदण्डों को शिथिल किया और पुन:खरीद के पश्चात किसी प्रतिभूति के नये निर्गम के लिए उपमशन अवधि को दो वर्षों से घटाकर छह माह किया गया।

द्वितीयक बाजार

1.74 सेबी ने 2 जुलाई 2001 से 414 स्क्रिप्सों के लिए टी+5 आधारित अनिवार्य आवर्ती निपटान बढ़ा दी और स्टाक एक्सचेंजों को शेष प्रतिभूतियों के संबंध में एकसमान निपटान आवर्तन (सोमवार से शुक्रवार तक) शुरू करने के लिए सूचित किया। टी+5 आधारित आवर्ती निपटान सभी स्क्रिप्सों के लिए 2 जनवरी 2000 से लागू की गई। इससे भुगतान और निपटान सिस्टम पर गठित संयुक्त कार्यकारी समिति तथा प्रतिभूति निपटान सिस्टम (अप्रैल 2001) पर प्रतिभूति आयोगों के अन्य राष्ट्रीय संगठन की सिफारिशों के अनुरूप भारत में भी प्रतिभूति निपटान प्रणाली हो जायेगी।

1.75 सेबी द्वारा किये गयें अन्य सुधारों में बदला सहित सभी आस्थगित उत्पादों पर रोक, सूचकांक घट-बढ़ के तीन चरणों पर लागू बाजार-वार सर्किट ब्रेकर प्रणाली की शुरुआत और 2 जुलाई 2001 से लागू अअनिवार्य आवर्ती निपटान में सभी स्क्रिप्सों के लिए 99 प्रतिशत जोखिम पर मूल्य (वीएआर) आधारित मार्जिन सिस्टम और 3 सितम्बर 2001 से निवल आधार से सकल आधार तक मार्जिनिंग सिस्टम में बदल देना शामिल है। इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से सेबी द्वारा नये व्युत्पनी उत्पादों को शुरु करने के लिए अनुमति दी गई। तदनुसार स्टाक एक्सेंजों ने जून 2001 में इन्डेक्स आप्शन्स में कारोबार शुरू किया उसके बाद जुलाई 2001 में चुनिंदा प्रतिभूतियों पर फ्युचर आपशन्स शुरु की। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी एक्सचेंजों में व्युत्पनी सांविदाओं पर / कारोबार की अनुमति फरवरी 2002 से विदेशी मुद्रा कय-विक्रय स्थिति सीमाओं के अधीन दी गई।

1.76 कंपनी संचालन के स्तरों में सुधार के लिए तथा कंपनियों से सूचीबद्ध कराने के करारों में संशोधनसहित उनके अलेखा परीक्षित तिमाही परिणामों के साथ-साथ उनके राजस्व, परिणाम, और निवेश की गई पूँजी के घटक-वार ब्यौरे, आदि प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सेबी ने निवेशकों की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु मानदण्ड जारी किये और लिस्टिंग करारों के लिए संशोधन कार्यान्वित करने के लिए स्टाक एक्स्चजों के लिए आदर्श नियमावली बनायी। सेबी ने स्टाक एक्सचेजों को यह सूचित किया है कि कंपनियों को अपने इलेक्ट्रानिक डेटा इन्फोरमेशन फाइलिंग ॲण्ड रिट्रिवाल (ईडीआइएफआर) प्रणाली पर विवरणों तथा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सूचीकरण करारों में सुधार लाएं।

पारस्परिक निधियाँ

1.77 निवेशकों को अपने निवेश निर्णय बेहतर सूचना के आधार पर लेने में सहायता करने के लिए पारस्परिक निधियों के लिए प्रकटीकरण मानदण्डों को और कठोर बनाया गया। तदनुसार सेबी ने इक्विटीउन्मुखी, ऋणोन्मुखी के विभिन्न प्रकार और शोषित निधि योजनाओं के मामले में बेंच मार्क निष्पादन अर्ध वार्षिकी परिणामों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। आस्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी) और विश्वस्त कंपनियों के कर्मचारियों के लिए विस्तृत निवेश और प्रकटीकरण मानदण्ड उनके हितों के भावी और संभावित टकरावों से बचने के उद्देश्य से निर्धारित किये गये। सेबी ने यह आदेश दिया कि सभी पारस्परिक निधियों को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में डीमैटि फार्म में निविष्ट करना चाहिए। पारस्परिक निधियों को सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा वीसीएफ की ईकाइयों में ऐसे निवेशों के लिए समग्र सीमा के भीतर निवेश करने की अनुमति दी गई। पारस्परिक निधि योजनाओं के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किये। व्यावसायिक मानकों में सुधार लाने की दृष्टि से सभी पारस्परिक निधियों द्वारा एजेटों / वितरकों की नियुक्ति के लिए भारतीय पारस्परिक निधि संगठन प्रमाणपत्र को आदेशात्मक बनाया गया।